



2026:AHC:34801-DB

ए.एफ.आर

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

प्रथम अपील संख्या 1137/2025

इशिता अग्रवाल अपीलार्थी

गोपाल कृष्ण मित्तल प्रत्यर्थी

अपीलार्थी के अधिवक्ता - राजेश कुमार गर्ग, यश गर्ग

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता - जय राज

न्यायालय संख्या- 29

माननीय न्यायमूर्ति अरिंदम सिंहा

माननीय न्यायमूर्ति सत्य वीर सिंह

(माननीय न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा द्वारा प्रदत्त)

1. अपीलार्थी उस बालक की माता है, जिसने अभी-अभी 5 वर्ष की आयु पूर्ण की है। प्रत्यर्थी पिता है, जिसके पक्ष में कुटुंब न्यायालय द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2025 का आक्षेपित निर्णय/आदेश पारित किया गया है। आक्षेपित निर्णय/आदेश में निहित आदेशात्मक निर्देश का अंग्रेजी अनुवाद नीचे उद्धृत है।

“अतः उपर्युक्त आधारों पर, प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह यह सुनिश्चित करे कि प्रार्थी प्रत्येक माह के तीसरे शनिवार को अपराह्न 3:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे के मध्य जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के परिसर में अवयस्क बालक सारांश से मिले।”

पूछे जाने पर हमने बार से यह ज्ञात किया है कि मुख्य विवाह-विच्छेद कार्यवाही अभी भी कुटुंब न्यायालय के समक्ष लंबित है।

2. श्री यश गर्ग, विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित हैं। श्री जय राज, विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित हैं और अपील की पोषणीयता पर प्रारंभिक आपत्ति उठाते हैं। वे निवेदन करते हैं कि आक्षेपित निर्णय/आदेश अंतरिम प्रकृति का है। कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19 के अंतर्गत उक्त आदेश से अपील का कोई अधिकार उपबंधित

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



नहीं है। वे इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा प्रथम अपील संख्या 495/2010 (इस्मा आलम बनाम श्री इरशाद आलम) में दिनांक 25 जनवरी, 2011 को दिए गए निर्णय में अपनाए गए मत पर निर्भर करते हैं, जिसके अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित अनुच्छेद उद्धृत हैं।

“वर्तमान वाद के तथ्यों और परिस्थितियों में प्रतिपादित सिद्धांतों को लागू करते हुए, हम पाते हैं कि विद्वान न्यायाधीश ने पक्षकारों के मध्य वाद का अंतिम रूप से विनिश्चय नहीं किया था, क्योंकि अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत दाखिल याचिका, जो 50/70/2009 के रूप में संख्यांकित है, अभी भी लंबित है। उन्होंने केवल अधिनियम की धारा 12 और 26 के अंतर्गत दाखिल प्रार्थना-पत्रों का विनिश्चय किया था और अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत दाखिल प्रार्थना-पत्र पर अंतिम विनिश्चय लंबित रहते हुए अवयस्क बालक की अंतरिम अभिरक्षा इस अपील के विपक्षी पक्ष को प्रदान करने का निर्देश दिया था। अतः वर्तमान अपील में आक्षेपित आदेश एक अंतर्वर्ती आदेश है और अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत अपील पोषणीय नहीं होगी। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वी.एम. जैदी का यह निवेदन कि आक्षेपित आदेश द्वारा विद्वान न्यायाधीश ने वस्तुतः संपूर्ण विवाद का विनिश्चय कर दिया था, असंगत है।

इस निष्कर्ष पर पहुँचते समय कि क्या विद्वान न्यायाधीश के समक्ष इस संबंध में दाखिल प्रार्थना-पत्र पर अवयस्क बालक की अंतरिम अभिरक्षा इस अपील के विपक्षी पक्ष को दी जानी है, विद्वान न्यायाधीश को अनिवार्यतः यह निष्कर्ष अभिलिखित करना होता है कि ऐसी अंतरिम अभिरक्षा प्रदान करने वाला आदेश क्यों पारित किया जाना अपेक्षित है। तथापि, उसमें अभिलिखित निष्कर्ष केवल अनंतिम निष्कर्ष है और वाद संख्या 50/70/2009 के निस्तारण को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा, जिसका विनिश्चय विद्वान न्यायाधीश द्वारा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री और साक्ष्य के आधार पर तथा विधि के अनुसार किया जाना है।”

(बल दिया गया)

3. श्री गर्ग ने हमारा ध्यान स्थगन प्रार्थना-पत्र के समर्थन में दिए गए शपथ-पत्र के अनुच्छेद 9 की ओर आकर्षित किया। वह अनुच्छेद नीचे उद्धृत है।

“9. यह कि तत्पश्चात विपक्षी/पति ने दिनांक 31.08.2024 को अधिनियम, 1955 की धारा 13 के अंतर्गत लंबित कार्यवाही में अपीलार्थी के विरुद्ध अधिनियम, 1955 की धारा 26 के अंतर्गत एक प्रार्थना-पत्र दाखिल किया, जिसमें अपीलार्थी को यह निर्देश देने की प्रार्थना

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



की गई कि वह उनके अवयस्क पुत्र को उनसे मिलने के प्रयोजन से जिला न्यायालय, आगरा के मध्यस्थता केंद्र पर लाए तथा यह अतिरिक्त निर्देश भी चाहा गया कि वह उनके अवयस्क पुत्र से वीडियो कॉल के माध्यम से बात कराए। इस प्रार्थना-पत्र के माध्यम से विपक्षी ने अपने अवयस्क पुत्र की अंतरिम अभिरक्षा भी चाही। विपक्षी द्वारा दिनांक 31.08.2024 को प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, आगरा के समक्ष अधिनियम, 1955 की धारा 26 के अंतर्गत दाखिल प्रार्थना-पत्र की प्रति इस शपथ-पत्र के साथ संलग्नक संख्या 3 के रूप में दाखिल की जा रही है।”

(बल दिया गया)

वे आगे निवेदन करते हैं कि घरेलू हिंसा के वाद में कुटुंब न्यायालय द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपर्क का निर्देश पहले ही दिया जा चुका है। उनके पक्षकार की अपील पोषणीय है। वे हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 26 और 28(2) पर निर्भर करते हैं।

4. हमारे लिए यह उपयोगी होगा कि पहले कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19 की उपधारा (1), (5) और (6) को, जो प्रासंगिक हैं, नीचे उद्धृत किया जाए।

“19. - (1) उपधारा (2) में यथा उपबंधित के सिवाय तथा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) अथवा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2), अथवा किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कुटुंब न्यायालय के प्रत्येक निर्णय अथवा आदेश से, जो अंतर्वर्ती आदेश न हो, तथ्य तथा विधि दोनों पर उच्च न्यायालय में अपील होगी।

(2)

(3)

(4)

(5) पूर्वोक्त के सिवाय, कुटुंब न्यायालय के किसी निर्णय, आदेश अथवा डिक्री से किसी न्यायालय में कोई अपील अथवा पुनरीक्षण नहीं होगा।

(6) उपधारा (1) के अंतर्गत की गई अपील की सुनवाई दो अथवा अधिक न्यायाधीशों से मिलकर बनी पीठ द्वारा की जाएगी।”

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 26 और 28 का उद्धरण भी आवश्यक है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



“26. संतानों की अभिरक्षा- इस अधिनियम के अंतर्गत किसी कार्यवाही में, न्यायालय समय-समय पर अवयस्क संतानों की अभिरक्षा, भरण-पोषण तथा शिक्षा के संबंध में, जहाँ तक संभव हो उनकी इच्छाओं के अनुरूप, ऐसे अंतरिम आदेश पारित कर सकेगा और डिक्री में ऐसे उपबंध कर सकेगा जिन्हें वह न्यायसंगत और उचित समझे, तथा डिक्री के पश्चात, इस प्रयोजन के लिए याचिका द्वारा आवेदन किए जाने पर, ऐसी संतानों की अभिरक्षा, भरण-पोषण और शिक्षा के संबंध में समय-समय पर वे सभी आदेश और उपबंध कर सकेगा जो ऐसी डिक्री अथवा अंतरिम आदेशों द्वारा किए जा सकते थे, यदि ऐसी डिक्री प्राप्त करने की कार्यवाही अभी भी लंबित होती, और न्यायालय समय-समय पर पूर्व में किए गए ऐसे किसी आदेश और उपबंध को प्रतिसंहत, निलंबित अथवा परिवर्तित भी कर सकेगा:

परंतु अवयस्क संतानों के भरण-पोषण और शिक्षा के संबंध में आवेदन, ऐसी डिक्री प्राप्त करने की कार्यवाही के लंबित रहते हुए, यथासंभव, प्रत्यर्थी पर नोटिस की तामील की तारीख से साठ दिनों के भीतर निस्तारित किया जाएगा।

27.

28. डिक्रियों और आदेशों से अपील-(1) इस अधिनियम के अंतर्गत किसी कार्यवाही में न्यायालय द्वारा की गई सभी डिक्रियाँ, उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उसी प्रकार अपीलनीय होंगी जैसे न्यायालय द्वारा अपनी आरंभिक सिविल अधिकारिता के प्रयोग में की गई डिक्रियाँ अपीलनीय होती हैं, और ऐसी प्रत्येक अपील उस न्यायालय में होगी जिसमें न्यायालय द्वारा अपनी आरंभिक सिविल अधिकारिता के प्रयोग में दिए गए विनिश्चय से साधारणतः अपील होती है।

(2) इस अधिनियम के अंतर्गत किसी कार्यवाही में धारा 25 अथवा धारा 26 के अंतर्गत न्यायालय द्वारा किए गए आदेश, उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यदि वे अंतरिम आदेश न हों तो अपीलनीय होंगे और ऐसी प्रत्येक अपील उस न्यायालय में होगी जिसमें न्यायालय द्वारा अपनी आरंभिक सिविल अधिकारिता के प्रयोग में दिए गए विनिश्चयों से साधारणतः अपील होती हैं।

(3) इस धारा के अंतर्गत केवल व्यय के विषय पर कोई अपील नहीं होगी।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(4) इस धारा के अंतर्गत प्रत्येक अपील डिक्री अथवा आदेश की तारीख से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर की जाएगी।”

(बल दिया गया)

5. हमने इस्मा आलम (उपरोक्त) में समकक्ष पीठ द्वारा अपनाए गए मत का संज्ञान लिया है। एक अन्य समकक्ष पीठ द्वारा दिनांक 17 जुलाई, 2025 के निर्णय में भी ऐसा ही मत अपनाया गया था, जिसमें हम में से एक (न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा) सदस्य थे। वह प्रथम अपील संख्या 285/2025 (डॉ. प्रखर कुमार बनाम डॉ. अदिति धौंडियाल) में था। उस मत का अनुच्छेद 10 नीचे उद्धृत है।

“10. संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 में, जैसा पूर्वोक्त है, 'अंतर्वर्ती आदेश' करने की शक्ति प्रदान करने वाली धारा 12 है। इसके पश्चात 1984 के अधिनियम द्वारा विधान आया। संसद ने भारत गणराज्य के 35वें वर्ष में उस विधेयक पर कार्य किया, जिसके उद्देश्य और कारणों के कथन में अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया था कि अतः लोकहित में पारिवारिक विवादों के शीघ्र निपटारे के लिए कुटुंब न्यायालयों की स्थापना की आवश्यकता अनुभव की गई। उद्देश्य और कारणों के कथन के खंड 2(i) द्वारा यह कहा गया था कि विधेयक अन्य बातों के साथ-साथ अपील का केवल एक अधिकार उपबंधित करना चाहता था, जो उच्च न्यायालय में होगा। यह संसद द्वारा अधिनियमित विधेयक के उद्देश्यों में से एक था। यथासंशोधित धारा 19, 1984 के अधिनियम द्वारा संविधि में विद्यमान है। यह कहना कि 1890 के अधिनियम की धारा 12, 1984 के अधिनियम की धारा 19 को नियंत्रित नहीं कर सकती, इस उपधारणा की ओर ले जाएगा कि विधानमंडल ने 1890 के अधिनियम, 1908 की संहिता और 1984 के अधिनियम में प्रयुक्त शब्द 'अंतर्वर्ती' के लिए भिन्न-भिन्न अर्थ निर्धारित किए थे।”

(बल दिया गया)

6. उपर्युक्त मतों के आलोक में, हमें अपीलार्थी द्वारा अवलंबित धारा 26 और धारा 28 की उपधारा (2) पर विचार करना है। हम धारा 28 की उपधारा (2) को कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 के अधिनियमन द्वारा, जो हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के पश्चात भी है, निर्मित विधिक स्थिति के प्रतिकूल नहीं पाते। उक्त उपबंध के उपर्युक्त उद्धरण पर हमने इस बात को

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रदर्शित करने के लिए बल दिया है कि धारा 26 के अंतर्गत किया गया आदेश अथवा निर्देश अपीलनीय हो सकता है, यदि वे अंतरिम आदेश न हों। कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19 का अधिदेश भी यही है।

7. 1955 के अधिनियम की धारा 26 न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करती है कि वह अधिनियम के अंतर्गत किसी कार्यवाही पर विचार करते समय, अन्य बातों के साथ-साथ संतानों की अभिरक्षा के संबंध में, समय-समय पर ऐसे अंतरिम आदेश पारित करे और डिक्री में ऐसे उपबंध करे जिन्हें वह न्यायसंगत और उचित समझे। आक्षेपित निर्णय/आदेश मात्र अंतरिम आदेश/निर्देश है। यह डिक्री में किया गया कोई उपबंध नहीं है, क्योंकि वैवाहिक विवाद के न्यायनिर्णयन पर ऐसी डिक्री अभी पारित होनी शेष है और विवाद अभी भी लंबित है। जहाँ न्यायालय कोई निर्णय पारित करता है और डिक्री होती है, उदाहरणार्थ विवाह-विच्छेद का निर्देश देते हुए और साथ ही अभिरक्षा के संबंध में निर्देश उपबंधित करते हुए, वहाँ कार्यवाही का कोई पक्षकार धारा 26 और धारा 28(2) के आधार पर केवल अभिरक्षा संबंधी निर्देशों के विरुद्ध अपील करना चुन सकता है। ऐसी अपील कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19 के अंतर्गत पोषणीय होगी।

8. आक्षेपित निर्णय/आदेश अंतर्वर्ती प्रकृति का होने के कारण, अपील पोषणीय नहीं है। तदनुसार इसे निरस्त किया जाता है।

17 फरवरी 2026

सलीम

(न्यायमूर्ति अरिंदम सिंहा)

(न्यायमूर्ति सत्य वीर सिंह)